

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू


पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 252 / 2021

सुरेन्द्र बनाम रामप्रसाद वगै०

वादी की ओर से अधिवक्ता मो० अनीश तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दलीप कुमार व राजेश पूनिया की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 17.04.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बगड़ पटवार हल्का बगड़ जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित हाल भूमि ख. नं. 157 रकबा 1.55 हैक्टेयर में प्रतिवादी कमल कुमार स्वामी उर्फ कमल प्रसाद तथा प्रतिवादी प्रकाश उर्फ विकी एवं स्व. संतोष का नाम हजफ कर उनके हिस्से की कृषि भूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत की मोहर द्वारा मुर्तिब किया गया।



(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
17/04/25

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|----------------------|-------|----------------------|-------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 5 | स्टाम्प वकालतनामा | 3 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1 | स्टाम्प अर्जी | |
| मेहनतनामा वकील | | मेहनतनामा वकील पर | |
| खर्चा गवाहान | | खर्चा गवाहान | |
| फीस कमिश्नर | | फीस कमिश्नर | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | बाबत इजराय हुक्मनामा | |
| | | मुतफरिक | 3 |
| योग | 6 | योग | |

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
17/04/25